निरीक्षण रमनगरा स्थित 120 एमएलडी. वॉटर फिल्टर प्लांट की सराहना, निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने व्यक्त किए अपने भाव

घर जैसी स्वच्छता प्रदेश के लिए बनेगा मॉडल : उपमुख्यमंत्री

नवभारत, जबलपुर। मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जबलपुर प्रवास के दौरान रमनगरा स्थित 120 एम.एल.डी. वॉटर फिल्टर प्लांट का सघन निरीक्षण किया। प्लांट की उत्कृष्ट व्यवस्था और स्वच्छता को देखकर उपमुख्यमंत्री भावविभोर हो उठे। उन्होंने प्लांट की तुलना एक स्वच्छ घर से करते हुए कहा कि जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही इस प्लांट को रखा गया है, जो कि अत्यंत 'अद्भुत' है।निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जबलपुर की जल प्रदाय व्यवस्था और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रबंधन इतना बेहतर है कि वे इसकी चर्चा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से करेंगे। उन्होंने संकेत दिए कि जबलपुर के इस जल प्रबंधन सिस्टम को एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इस मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' ने उपमुख्यमंत्री को प्लांट की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रमनगरा प्लांट में 500 किलोवाट के 5 पंप स्थापित हैं। सुचारू व्यवस्था के लिए 3 पंप निरंतर चलते हैं, जबकि 2 पंपों को इमरजेंसी बैकअप के तौर पर रिजर्व रखा जाता है। इस प्लांट से शहर की 28 उच्चस्तरीय टंकियों में पानी की सप्लाई होती है, जिससे सीधे तौर पर 36 वार्डों की जनता को शुद्ध पेयजल मिलता है।

गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतरा पानी

निरीक्षण के दौरान जल की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। उपमुख्यमंत्री ने लैब में जाकर रॉ-वॉटर और फिल्टर प्लांट में तैयार शुद्ध जल की केमिकल और फिजिकल जांच की प्रक्रिया देखी। पिछले एक सप्ताह की टेस्ट रिपोर्ट्स का अवलोकन करने पर पाया गया कि जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के पूर्णतः अनुरूप है। प्लांट में स्थित प्रयोगशाला न केवल प्लांट के पानी, बल्कि शहर के विभिन्न हिस्सों से नमूने एकत्रित कर उनकी निरंतर जांच करती है। इस दौरान कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी, निगमाध्यक्ष रिकुंज विज, कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह, निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय सहित विभाग के सहायक यंत्री संदीप जायसवाल, खम्परिया व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सेवा की राजनीति करती है भाजपा : देवड़ा

जबलपुर प्रवास पर आकर किया दावा, सेवा संकल्प को किया जा रहा साकार

नवभारत, जबलपुर। भाजपा नाम की नहीं सेवा की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) सेवा तीर्थ है। हम सेवा संकल्प को साकार कर रहे हैं। ये सारी बातें उपमुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने शहर प्रवास के दौरान सोमवार को कहीं। मौका था रानीताल स्थित भाजपा के संभागीय कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता को संबोधित करने का। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) (2023) तीन नए भारतीय कानून हैं, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) को बदलने के लिए लाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा का सम्मान हो। गरीब, जनजाति और पिछड़ा को रोजगार मिले, उसके लिए यह कानून आया है। इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। पत्रकारवार्ता में नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, विधायक इंदू तिवारी, अशोक रोहाणी सहित अन्य नेता शामिल थे।

कोलकाता उच्च न्यायालय के सीजे बने जस्टिस सुजॉय पॉल

जबलपुर से शुरू की थी वकालत, पहुंचे शीर्ष पद पर

जबलपुर, नवभारत। संस्कारधानी और न्यायिक राजधानी जबलपुर से जुड़े जस्टिस सुजय पॉल को कोलकाता उच्च न्यायालय का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि वर्तमान में जस्टिस सुजय पॉल कोलकाता उच्च न्यायालय में वरिष्ठ जज के रूप में पदस्थ थे और अब वे वहां की न्यायिक कमान संभालेंगे। जस्टिस पॉल का न्यायिक सफर बेहद प्रेरणादायक माना जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जबलपुर में वकालत के साथ की थी। कड़ी मेहनत, गहन कानूनी समझ और निष्पक्ष छवि के चलते वे जल्द ही न्यायिक जगत में पहचाने जाने लगे। मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर में उनकी वकालत के दौरान कई अहम और संवेदनशील मामलों में उनकी दलीलें चर्चा का विषय बनीं। जस्टिस पॉल के कोलकाता के चीफ जस्टिस बनने पर जबलपुर के वकीलों, न्यायिक अधिकारियों और आम नागरिकों में इस खबर को लेकर खुशी की लहर है।

इस प्रकार रहा सफर

जबलपुर में वकालत करने के दौरान उन्हें मप्र उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया। जज के रूप में उनके कई फैसलों को लॉ स्टूडेंट्स और अधिवक्ताओं के लिए मिसाल माना जाता है। प्रशासनिक मामलों से लेकर संवैधानिक मुद्दों तक, उनके निर्णयों में संतुलन और संवेदनशीलता स्पष्ट नजर आई बाद में उनका ट्रांसफर कोलकाता उच्च न्यायालय में कर दिया गया। वहां उन्होंने सीनियर जज के रूप में अपनी एक खास और मजबूत छाप छोड़ी। अब चीफ जस्टिस के रूप में उनकी नियुक्ति से कोलकाता उच्च न्यायालय को एक अनुभवी, सख्त लेकिन न्यायप्रिय नेतृत्व मिलने जा रहा है।

यूथ हॉस्टल में हंगामा-उपद्रव, तोड़फोड़

छात्रों-अधिवक्ताओं के बीच टकराव के बाद बवाल, काउंटर केस दर्ज

जबलपुर। लार्डगंज थाना अंतर्गत रानीताल स्टेडियम के पास स्थित साई यूथ हॉस्टल हॉस्टल में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब अधिवक्ताओं और छात्रों के बीच हुई कहासुनी के बाद टकराव हो गया। इसके बाद हंगामे के साथ दोनों पक्ष भिड़ गए। तोड़फोड़-मारपीट हुई। जिसमें कई लाग घायल हो गए। इस दौरान हॉस्टल में मौजूद लोग दहशत में आ गए और इधर-उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही अति पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता पुलिस बल समेत मौके पर पहुँचे और मोर्चा संभाला। सीसीटीव्ही खंगाले गए। जिसके बाद दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर काउंटर केस दर्ज कर लिया गया है।

गेट तोड़कर घुसे, सात कमरों की खिड़कियां तोड़ी

रमेश कुमार परिहार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे रानी दुर्गावति स्टेडियम रानीताल के परिसर में स्थित शासकीय यूथ हास्टल में प्रबंधक के पद पर पदस्थ है। रात्रि नौ बजे से साढ़े नौ बजे के बीच वे हास्टल में कार्यरत वचमेन दिनेश कुमार, श्रीपाल एवं गार्ड राजेन्द्र राय उपस्थित थे। तभी स्टेडियम के मुख्य द्वार पर अधिवक्ताओं, कुछ लड़कों के बीच मारपीट हुई। इसी बीच अचानक 20-25 अज्ञात लोग हास्टल के मुख्य गेट के लोहे के कुंदे को तोड़कर मुख्य भवन के चैनल गेट को खोलकर अनाधिकृत रूप से अंदर प्रवेश किये और बिना कुछ बताये डंडो ,हॉकी स्टिक अन्य से हॉस्टल में बने कमरों यूथ हॉस्टल के सामने रखे गमले तोड़फोड़ कर हॉस्टल के अंदर कार्यालय एवं भवन के अन्य 5-7 कमरों के खिडकी में लगे कांच ,वाटर कूलर , 2 दरवाजे को तोड़फोड़ कर दिये है एवं कक्ष क्रमांक 10 में एक अतिथि रविन्द्र सारसवत निवासी जिला सिवनी के रूके होने से उनके साथ भी मारपीट की गई।

शराब पीने रूपए नहीं दिए तो पीटा

अंशुल पटेल निवासी बिलखरवा ,भेडाघाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे अधिवक्ता है। रविवार को रानीताल स्टेडियम में एडव्होकेट प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच था। शाम करीब 5.30 बजे मैच समाप्ति के उपरांत टीम के साथ स्टेडियम पर ही था। रात्रि करीब 8 बजे दोस्त राजेश मोहोड़,गोविन्द विश्वकर्मा के साथ घर जाने के लिए स्टेडियम से बाहर आया ,गेट के पास पार्किंग में उसकी कार खड़ी थी। कार लेकर जब बाहर निकल रहा था तभी मुख्य गेट पर ही तीन लडकों के द्वारा रोक लिया गया। एक लडके ने शराब पीने दो हजार रूपये मांगे मना करने पर तीनों ने लात घूसों से मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव के दौरान उसके साथी राजेश मोहोड, गोविन्द विश्वकर्मा के साथ भी मारपीट की गई। इसी दौरान हॉस्टल तरफ से 10-12 अज्ञात लडके आये ,सभी ने मिलकर मारपीट की। इसके बाद सभी अज्ञात लडके साँई हास्टल की तरफ भाग गए।

सूने घर से 4.20 लाख के जेवर चोरी

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत शोभापुर ग्रीन कॉलोनी में चोरों ने सूने घर का ताला तोड़कर 4 लाख 20 हजार रूपए के जेवरात पार कर दिए। पुलिस के मुताबिक मार्टिन खाखा निवासी शोभापुर ग्रीन कालोनी रांझी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे क्वालिटी कंट्रोल विभाग से रिटायर है। छोटा बेटा अविनाश खाखा साथ में ही रहता है। पत्नी बेटे के साथ पैतृक गांव जसपुर छत्तीसगढ़ चला गया था। जब बेटा बीती रात लौटकर आया तो देखा कि घर के पीछे के दरवाजे की कुंडी टूटी हुयी थी। आलमारियों में रखे हुये सोने चांदी के जेवरात 4 लाख 20 हजार रूपये गायब थे।

लाईन मेन के सूने घर से आभूषण ले गए चोर

जबलपुर। गोराबजार थाना अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कालोनी में रहने वाले एमपीईबी में पदस्थ लाईन मेन कमल कुमार सैनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह घर में ताला लगाकर रिश्तेदारी में कटनी गया था। घर वापस आया तो दरवाजे का ताला खोलकर अंदर गये देखे पीछे का दरवाजा टूटा था चैक करने पर पूजा वाले रूम में रखी आलमारी टूटी हुयी थी लॉकर में सोने चांदी के जेवरात गायब थे।

हत्या कर नहर में फेंकी महिला की लाश

गला दबाकर उतारा मौत के घाट कातिल की तलाश में जुटी पुलिस

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत ग्राम मुडिया बाईपास में हत्या के बाद सूखी नहर में एक महिला की लाश फेंक दी गई। हत्या किसने और किन कारणों से की है इसका फिलहाल पता नहीं चल सका। सोमवार दोपहर महिला की लाश पड़ी मिली। जिसके गले में निशान है। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल टीम मौका-ए-वारदात पर पहुंच गई और घटना स्थल से अहम साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि गला घोंटने के बाद शव को फेंका गया है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक श्याम धुर्वे 32 वर्ष निवासी ग्राम हाड़ापानी थाना कुण्डम ने बताया कि वह खेती किसानी करता है। उसकी पत्नी सुलोचना के साथ ससुर ज्ञानी राजेश पोल्ट्रीफार्म में रहकर काम करती थी। शनिवार शाम लगभग 4 बजे से गायब थी। सोमवार सुबह लगभग 10 बजे मुड़िया नहर के पास एक महिला का शव मिलने की जानकारी लगी तो वह सास ससुर के साथ मुड़िया नहर के पास जाकर देखा उसकी पत्नी सुलोचना धुर्वे सूखी नहर के अंदर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। जिसे उसने चादर से ढक दिया था किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। शव छिपाने के उद्देश्य से नहर के अंदर शव को डाल दिया। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल सुश्री राजेश्वरी कौरव घटनास्थल पर पहुँचे थे।आरोपी की पतासाजी के लिए पनागर थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार के नेतृत्व में टीम गठित कर लगाई गयी है।

बाजार जाने निकली, वापिस नहीं लौटीं

सुलोचना धुर्वे पति श्याम धुर्वे निवासी कुंडम की मुड़िया स्थित पटेल पोल्ट्री फार्म में काम करती थी। शनिवार को पनागर बाजार जाने के लिए वे घर से निकली थी लेकिन वापिस नहीं लौटी। परिजनों ने पहले तो अपने स्तर पर उसकी खोजबीन शुरू की लेकिन जब उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा तो वे थाने पहुंचे और पुलिस को मामले से अवगत कराया था।

गले में नाखून के निशान

पनागर थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि सोमवार दोपहर सूचना मिली कि नागपुर-रीवा बाइपास से लगभग ढाई सौ मीटर दूर एक महिला का शव पड़ा हुआ है। शव को पीएम के लिए भेजा गया। मृतिका के गले पर नाखून के निशान मिले है। महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस आरोपी की पतासाजी कर रही। जल्द ही कातिल का पता लगा लिया जायेगा

करीबी है आरोपी

सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम, एवं डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गया साक्ष्य जुटाए। मृतिका के करीबियों पर शक की सुई घूम रहा है। पुलिस पोल्ट्री फार्म में काम करने वालों से लेकर महिला के परिचितों, रिश्तेदारों के भी बयान दर्ज कर रही है। इसके साथ ही संदेहियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीसीटीव्ही कैमरों को भी खंगाला जा रहा है।

डीआरएम के समक्ष झुका रेलवे बोर्ड, तबादला रद्द

जबलपुर, नवभारत। गत दिवस सिमुलतला के पास हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद शुरू हुई प्रशासनिक खींचतान में एक नया मोड़ आया है। इस हादसे के बाद आसनसोल मंडल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव के तबादले को लेकर रेलवे बोर्ड को अपना फैसला बदलना पड़ा है। उनका पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर का तबादला निरस्त करते हुए मुरादाबाद मंडल की कमान सौंपी गई है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), कोलकाता की शरण में जाने के बाद उन्हें बड़ी राहत कैट का आदेश आने के पहले ही मिल गई है अब उन्हें पश्चिम मध्य रेलवे के बजाय उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल का डीआरएम नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों सिमुलतला (आसनसोल मंडल) के अंतर्गत हुए रेल हादसे के बाद रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया था। इस घटना की जवाबदेही तय करते हुए रेलवे बोर्ड ने 2 जनवरी को आनन-फानन में एक आदेश जारी कर आसनसोल डीआरएम विनीता श्रीवास्तव का तबादला पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में कर दिया था।तबादले के खिलाफ श्रीवास्तव ने कैट, कोलकाता बेंच में याचिका दायर की थी। वहां उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए इस कार्रवाई को चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण से मिले हस्तक्षेप और राहत के बाद रेलवे बोर्ड बैकफुट पर आया। बोर्ड ने जारी किया संशोधित आदेश शनिवार, 10 जनवरी को रेलवे बोर्ड ने पुराने आदेश को रद करते हुए नया पत्र जारी किया, जिसमें 2 जनवरी का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें पश्चिम मध्य रेलवे भेजा गया था। आदेश में अब उन्हें उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल जैसे महत्वपूर्ण डिवीजन की कमान सौंपी गई है।

कैडर रिव्यू कोई औपचारिक या विवेकाधीन नहीं, अनिवार्य दायित्व है

जबलपुर। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की युगलपीठ ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कैडर रिव्यू कोई औपचारिक या विवेकाधीन नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार का अनिवार्य दायित्व है। इस दायित्व के निर्वहन में हुई देरी को प्रशासनिक उदासीनता व निष्क्रियता के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अतिरिक्त कैडर रिव्यू की प्रक्रिया 120 दिन में पूर्ण करने के आदेश जारी किये है।मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन द्वारा दायर आवेदन में कहा गया था कि भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम, 1954 के तहत प्रत्येक पाँच वर्ष में कैडर रिव्यू किया जाना अनिवार्य है। पिछले लगभग दो दशकों से यह प्रक्रिया लगातार विलंब की जाती रही। इस देरी के कारण राज्य पुलिस सेवा के अनेक पात्र अधिकारी पदोन्नति व इंडक्शन के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं। याचिका में कहा गया था कि यदि इसी प्रकार देरी जारी रही तो कई अधिकारी 56 वर्ष की आयु सीमा पार कर जाएंगे । और इंडक्शन का अवसर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।

नव भारत

आवश्यकता है

पद की योग्यता

देश के अनेक राज्यों से प्रकाशित नवभारत समाचार पत्र समूह के जबलपुर संस्करण के लिए निम्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।

एकाउंटेंट
(बी.कॉम.व टेली एवं 2 वर्ष का अनुभव)

डीटीपी ऑपरेटर
(5 वर्ष का अनुभव एवं कोरल ड्रा अनिवार्य)

ऑफिस बाय
(10 वीं पास एवं 5 वर्ष का अनुभव)

संपर्क करें

कार्यालय- नवभारत प्रेस, चौथापुल, महर्षि स्कूल के सामने, जबलपुर
(दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक)

9752721239, 8305852507
hr.navabharat1934@gmail.com